

प्रेषक

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
जौनपुर।

सेवा में,

प्रबन्धक

सुप्रभात चिल्ड्रेन एकेडमी नयनसण्ड धर्मापुर
जौनपुर।

पत्रांक:मान्यता/

1425

/2018-17

दिनांक 28/5/2016

विषय- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकारी अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 15 के उपनियम (के अधीन अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया

जांच अधिकारी/सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी की आख्या/ संस्तुति तथा मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) पंचम मण्डल वाराणसी के अनुमोदनोपरान्त उओप्रो शासन, लखनऊ शिक्षा अनुभाग-8 आदेश संख्या 419/76-6-2013-16(20)/91 दिनांक 08मई, 2013 के द्वारा गठित समिति के निर्णय दिनांक 05.03.2016 के अनुक्रम में तारीख के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ परचातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं सुप्रभात चिल्ड्रेन एकेडमी नयनसण्ड धर्मापुर जौनपुर को 28.5.2016 से 27.05.2019 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए नर्सरी से कक्षा 08 तक के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्याधीन है:-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-8 के परचात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार, अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपाबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथा स्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय की अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (उपाबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के विद्यालय एक पृथक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा, और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और अधिनियम की धारा 15 के उपाबंधों को पालन करेगा, विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
(अ) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसके विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
(i) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।
(ii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
(iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
(iv) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष अवसर्यताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
(v) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यहां और की विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पोंच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
(vi) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (i) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और
(vii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन किया-कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार है:-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल।

कुल निर्मित क्षेत्र।

क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल।

कक्षाओं की संख्या।

प्राध्यापक-सह कार्यालय, सह भंडारागार के लिए कक्षा।

बालक और बालिकाओं के पृथक शौचालय।

पेयजल सुविधा।

मीड-डे-मील पकाने के लिए रसोई।

बाधा रहित पहुँच।

Rohit

Vim

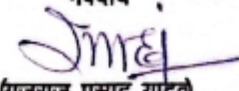
Rajeev
PrincipalSuprabhat Children's Academy
Nayansand, Jaunpur
School No-71454प्रबन्धक
सुप्रभात चिल्ड्रेन एकेडमी
नयनसण्ड गौराबादशाहपुर
धर्मापुर, जौनपुर

बाधा रहित पहुँच।

अध्यापन पठन सामग्री/कीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता।

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से न तो कोई गैरमान्यता प्राप्त कक्षाएं और ना ही अन्य शाखाएं चलाई जायेगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास प्रायोजनों के लिए किया जायेगा।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 को 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी घाटर्ड एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और इसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक X है। कृपया इसे नोट कर लें, और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समूचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के लिए अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किया जाय।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय।
17. संलग्न उपबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।
18. मान्यता प्राप्त करने हेतु प्रबन्ध तंत्र द्वारा प्रस्तुत पत्रजात/अभिलेख किसी भी स्तर पर कूटस्थित अथवा फर्जी अथवा दूषित पाये जाने पर नियमानुसार मान्यता प्रत्याहरित करने की कार्यवाही की जायेगी।
19. विद्यालय संचालन में आने वाला व्यय विद्यालय प्रबन्ध तंत्र द्वारा अपने नीजि स्रोतों से वहन किया जायेगा।

भवदीय


(गजराज प्रसाद यादव)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर।
दिनांक उक्तवत्।

पृ०सं०:मान्यता/

/2016-17

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बैसिक) पंचम मण्डल वाराणसी।
3. खण्ड शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित विकास खण्ड/नगरक्षेत्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप विद्यालय का पुनः निरीक्षण कर लें और पूर्णरूपेण संतुष्ट हो लें कि विद्यालय भवन नेशनल विल्डिंग कोड के मानक के अनुसार निर्मित है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा विद्यालय भवन के नेशनल विल्डिंग कोड के अनुसार निर्मित होने के प्रमाण पत्र के निर्गत होने की पुष्टि कर लें, विद्यालय में स्थापित अग्निशमन यंत्र क़ियाशील है तथा शासनादेश दिनांक 08.05.2013 के द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति करता है, अन्यथा की स्थिति में एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।
4. कार्यालय प्रति।

(गजराज प्रसाद यादव)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर।


प्रबन्धक

सुप्रभात चिल्ड्रेन एकेडमी
नयनसण्ड गौराबादशाहपुर
धर्मापुर, जौनपुर


Principal
Suprabhat Children's Academy
Nayansand, Jaunpur
School No:-71454